<u>कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)</u>

/ /<u>कार्य विभाजन आदेश</u>/ /

वर्ष–2023

क्रमांक–**1** / एक–11–1 / 2009, डिण्डौरी, दिनांक 02 / 01 / 2023

मैं नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा 1 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(2), 194, 381(1), तथा 400 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए इस सम्बंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए इस न्यायिक जिला डिण्डौरी में स्थापित समस्त न्यायाधीशों / न्यायालयों के बीच सिविल एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दाण्डिक कार्य का वितरण / विभाजन एवं क्षेत्राधिकार नीचे दी गई सारणी अनुसार घोषित करती हूँ।

यह कार्य विभाजन पत्रक इस आदेश के प्रचलित होने के दिनॉक से प्रभावशील होकर आगामी कार्य विभाजन आदेश पारित होने तक प्रभावशील रहेगा।

स. क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
	1	2	3
1-	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी**	**सत्र खण्ड डिण्डौरी एवं सिविल जिला डिण्डौरी (कुटुम्ब न्यायालय डिण्डौरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर)**	1- सत्र एवं विशेष प्रकरण, जो कि संबंधित अधिनियम के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश के अथवा विशेष न्यायाधीश के रूप में विचाराधीन हो। 2- स्वयं के न्यायालय से सम्बंधित धारा 438 एवं 439 से संबंधित समस्त नियमित जमानत / अग्रिम जमानत याचिकाएं। 3- जिला मुख्यालय डिण्डौरी एवं तहसील मुख्यालय शहपुरा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न दाण्डिक अपीलें, विविध अपीलें एवं पुनरीक्षण आवेदन। 4- आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा आवंटित प्रकरण। 5- विविध आपराधिक प्रकरण। 6- ग्राम पंचायत अधिनियम 2008 के अंतर्गत न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, डिण्डौरी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न दाण्डिक अपीलें। 7- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपीलें 8- आपराधिक विविध (संशोधन) अधिनियम के विशेष प्रकरणों का प्रस्तुतिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित ऐसे प्रकरणों का निराकरण। 9- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण। 10- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रकरण। 11- विशेष प्रकरण (पी0सी0 एक्ट 1988) के पीठासीन अधिकारी के ***<u>अवकाश अवधि / न्याया0 रिक्त होने</u>***

			पर विशेष न्याया0 में प्रस्तुत/लंबित तत्काल आवेदन पत्रों का निराकरण। 12- विशेष सत्र प्रकरण एन.डी.पी.एस. एवं एस0सी/एस0टी0 (पी0ओ0ए0) एक्ट 1989 के पीठासीन अधिकारी के ***अवकाश अवधि/न्याया0 रिक्त होने पर*** विशेष न्याया0 में प्रस्तुत/लंबित तत्काल आवेदन पत्रों का निराकरण। 13- न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा एवं द्वितीय एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी एवं पूर्व के समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा पारित निर्णय एवं जयपत्र से उद्भुत होने वाली समस्त दीवानी नियमित एवं विविध अपीलें। 14- मध्यप्रदेश लोक फण्ड ऑडिट एक्ट 1933 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र। 15- धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र। 16- अन्य विधियों के अंतर्गत प्रस्तुत अन्य ऐसे सभी प्रकरण, अपीलें एवं आवेदन पत्र जिसमें जिला न्यायाधीश को मूल रूप से सुनवायी का विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है तथा अन्य ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख कार्यविभाजन आदेश में अन्यत्र उल्लेखित नहीं हैं। 17- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, डिण्डौरी द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत पारित निर्णय एवं जयपत्र से उद्भूत होने वाले समस्त दीवानी नियमित एवं विविध अपीलें। 18- वाणिज्यिक न्यायालय से सम्बंधित प्रकरण। 19- समस्त सिविल नियमित वाद जिनका मूल्यांकन एक करोड़ रूपये से अधिक हो। 20- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदार्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत राजस्व तहसील डिण्डौरी, बजाग व शहपुरा में आरंभिक अधिकारिता के सिविल न्यायालय द्वारा लिये जाने योग्य प्रकरण। 21- रेन्ट कन्ट्रोल अथोरिटी के निर्णय के विरूद्ध उत्पन्न अपीलें। 22- पेमेन्ट ऑफ वेज़ेज एक्ट, 1936 की धारा 17 के अधीन अपीलें। 23- किसी भी अन्य केन्द्रीय अथवा स्थानीय अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरूद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली अपीलें। 24- अन्य जिलों से प्राप्त इज़राय एवं विविध प्रकरणों

			पर कार्यवाहियाँ। 25- न्यायालय **तृतीय** जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा व्यवहार प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भुत होने वाले विविध वाद, निष्पादन प्रकरण तथा अन्य समस्त विविध कार्यवाहियॉ। 26- पब्लिक प्रिमाइसेस इव्हिक्शन एक्ट 1971 के प्रकरण 27- जिले के **पुलिस थाना डिण्डौरी, शहपुरा, शाहपुर एवं समनापुर एवं मेहंदवानी** से उद्भूत होनेवाले मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त क्षतिपूर्तिदावा से सम्बंधित प्रकरण। 28- **तृतीय** अति0 सदस्य मो0या0दु0दा0अधि0 डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भुत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियॉ। 29- अन्य जिलों में घटित दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति प्रकरणों का विचारण।
2-	**प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी**	**सत्र खण्ड डिण्डौरी एवं सिविल जिला डिण्डौरी**	1- डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत लघु मात्रा से सम्बंधित प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियॉ एवं जमानत याचिकाऍ। 2- डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं जमानत याचिकाऍ। 3- डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 4- डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत समस्त प्रकरणों का विचारण। 5- सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, अपीलें, पुनरीक्षण, जमानत याचिकाएं। 6- राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम 2008 के अंतर्गत डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न प्रकरणों का विचारण। 7- पूर्व के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भुत होने वाली समस्त विविध कार्यवाहियॉ। 8- स्वयं के न्यायालय से उत्पन्न विविध आपराधिक

			प्रकरण। 9- न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी के न्यायालय से उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण। 10- दं0प्र0सं0 की धारा 10(3) एवं एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं आवेदन पत्र। 11- डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न म0प्र0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से सम्बंधित सभी मामलों के विचारण एवं अन्य कार्यवाहियॉ। 12- विशेष प्रकरण (पॉक्सो एक्ट 2012) के पीठासीन अधिकारी के ***<u>अवकाश अवधि/न्याया0 रिक्त होने पर</u>*** विशेष न्याया0 में प्रस्तुत/लंबित तत्काल आवेदन पत्रों का निराकरण। 13- संपूर्ण सिविल जिला डिण्डौरी से उद्भूत म0प्र0 नगरपालिका एवं पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन। 14- जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित सभी प्रकार के प्रकरण। 15- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आदेशों के विरूद्ध प्रकरण। 16- न्यायालय **द्वितीय** जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा व्यवहार प्रकरणों में पारित निर्णयों एवं आदेशों से उद्भुत होने वाले विविध वाद, निष्पादन प्रकरण तथा अन्य समस्त विविध कार्यवाहियॉ। 17- मध्यप्रदेश न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत चुनाव याचिका। 18- धारा 9, 34 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 19- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी, प्रथम व्यव0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहपुरा तथा पूर्व के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी के द्वारा पारित आदेश तथा निर्णय एवं जयपत्र से उद्भुत होने वाली समस्त दीवानी नियमित एवं विविध अपीलें। 20- जिले के पुलिस थाना **करंजिया, गाड़ासरई, बजाग** से उद्भूत होने वाले मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दुर्घटना से सम्बंधित प्रस्तुत समस्त क्षतिपूर्ति प्रकरण। 21- श्री आर.जी.सिंह तत्कालीन प्रथम अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भूत

			होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 22- पूर्व में अतिरिक्त सदस्य मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां। 23- **द्वितीय** अति0 सदस्य मो0या0दु0दा0अधि0 डिण्डौरी द्वारा क्लेम प्रकरणों में पारित अवार्ड/आदेश से उद्भुत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियॉ। 24- समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये गये मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण।
3-	**तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी**	**सत्र खण्ड डिण्डौरी एवं सिविल जिला डिण्डौरी**	1.डिण्डौरी सत्र खण्ड से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत समस्त प्रकरणों का विचारण एवं जमानत याचिकाएँ। 2.स्वयं के न्यायालय से उत्पन्न विविध आपराधिक प्रकरण।
		एल0जे0एस0	
4-	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी**	**राज़स्व तहसील डिण्डौरी, बजाग**	1- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 2- जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार प्रकरण। 3- ऐसे नियमित व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,001/– से अधिक होकर 1,00,00,000/– रूपये तक हो। 4- मध्यप्रदेश न.पा./पंचायत अधिनियम की धारा 139, 172 के अन्तर्गत अपीलें। 5- लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 200/– रूपये से अधिक एवं 500/– रूपये से अधिक न हो। 6- स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उद्भूत (व्य0न्या0क0खण्डद्वारा विचारणीय छोड़कर) निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां।
5-	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी**	–	1- जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद प्रकरण जिनका मूल्यॉकन 5,00,001/– से 1,00,00,000/– रूपये तक हो। 2- स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उद्भूत (व्य0न्या0कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय छोड़कर) निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां।

6-	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी**	**राजस्व तहसील शहपुरा**	1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 10 के अंतर्गत समस्त प्रकरण। 2. राजस्व तहसील शहपुरा से उद्भूत होने वाले समस्त नियमित व्यवहार वाद (व्य0न्या0कनिष्ठ खण्ड द्व ारा विचारणीय को सम्मिलित करते हुए) जिनका मूल्यांकन 1,00,00,000/– रूपये से अधिक न हो। 3. मध्यप्रदेश न.पा./पंचायत अधिनियम की धारा 139, 172 के अन्तर्गत अपीलें। 4. लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 500/– रूपये से अधिक न हो। 5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार प्रकरण। 6. स्वयं के न्यायालय तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहपुरा के न्यायालय से निराकृत व्यवहारवादों से उद्भुत निष्पादन एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां।
7-	**न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, डिण्डौरी**	**जनपद पंचायत डिण्डौरी (नगर पंचायत डिण्डौरी के क्षेत्राधिका र के प्रकरणों को छोड़कर)**	<u>ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित निम्नलिखित सिविल प्रकृति के वाद</u> (क) सिविल वाद :– 1- संपत्ति क्रय करने का अधिकार 2- आम चारागाहों का उपयोग 3- सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय (ख) संपत्ति विवाद :– 1- ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा) 2- जलसरणिया 3- कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार (ग) अन्य विवाद :– 1- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे। 2- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे। 3- व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भुत धन संबंधी वाद। 4- भूमि और कृषि में भागीदारी से उद्भुत विवाद। 5- ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद। 6- समय–समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित व्यवहार वाद/निष्पादन वाद एवं विविध वाद प्रकरणों का निराकरण करना।

8-	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी**	-	टीप–केवल आपराधिक प्रकरणों के विचारण हेतु अधिकृत किये जाने से सिविल प्रकरणों का सुनवाई क्षेत्राधिकार आवंटित नहीं किया गया है।
9-	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी**	**राजस्व तहसील डिण्डौरी**	1. **राजस्व तहसील डिण्डौरी से उद्भूत** होने वाले नियमित व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/– रूपये से अधिक न हो। (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) 2. राजस्व तहसील **डिण्डौरी** से उद्भूत होने वाले समस्त लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 200/– रूपये तक हो। 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद प्रकरण जिनका मूल्यॉकन 5,00,000/– रूपसे से अधिक न हो। 4. स्वयं के न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उद्भुत निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ।
10-	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी**	**राजस्व तहसील बजाग**	**1. राजस्व तहसील बजाग से उद्भूत** होने वाले नियमित व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन 5,00,000/– रूपये से अधिक न हो। (ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर) **2.** राजस्व तहसील **बजाग** से उद्भूत होने वाले समस्त लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 200/– रूपये तक हो। **3.** जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित व्यवहार वाद प्रकरण जिनका मूल्यॉकन 5,00,000/– रूपसे से अधिक न हो। **4.** स्वयं के न्यायालय एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी, अति0 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी तथा पूर्व के समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीश द्वारा निराकृत व्यवहार वादों से उद्भुत निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियॉ।
11-	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी**	–	टीप–केवल आपराधिक प्रकरणों के विचारण हेतु अधिकृत किये जाने से सिविल प्रकरणों का सुनवाई क्षेत्राधिकार आवंटित नहीं किया गया है।

सिविल जिला डिण्डौरी के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति/अवकाश/ ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश, में उनके न्यायालयों के सिविल एवं दांडिक प्रकरणों से संबंधित शीघ्र सुनवाई के आवेदनों का निराकरण नीचे लिखे न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा :–

अनुसूची अ

क्र.	न्यायालय का नाम व स्थान	स्तंभ कमांक 2 में अंकित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश	स्तंभ कमांक 3 में अंकित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य के लिए प्राधिकृत पीठासीन न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
2.	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
3.	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी
	अनुसूची ब		
4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी (उनके आर्थिक क्षेत्राधिकार को दृष्टिगत रखते हुये)
5	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी
6	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शहपुरा जिला डिण्डौरी	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शहपुरा (उनके आर्थिक क्षेत्राधिकार को दृष्टिगत रखते हुये)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी
9	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी
10	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, शहपुरा जिला डिण्डौरी	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डिण्डौरी

नोट :–

1- उक्त कार्य विभाजन पत्रक कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों से सम्बंधित सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों के विचारण को छोड़कर पारित किया गया है जिन मामलों का सुनवाई क्षेत्राधिकार कुटुम्ब न्यायालय को प्राप्त है।

2- सम्बंधित न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति/निवर्तमान न्यायालय रिक्त होने की परिस्थिति में उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अलावा प्राधिकृत अधिकारी के उपलब्ध न होने पर सम्बंधित न्यायिक अधिकारी के अत्यावश्यक कार्य संपादन मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3- यह आदेश ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश में भी लागू रहेगा, इस अवधि में सिविल कार्य हेतु विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी, एवं न्यायाधीशगण आवश्यक सिविल कार्य निष्पादित करेंगे।

4- व्यवहार नियम, 1958 के नियम 21(4) के अन्तर्गत समस्त पीठासीन अधिकारियों को अत्यावश्यक प्रकृति के सिविलवाद ग्रहण करने हेतु ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश अवधि के लिये अधिकृत किया जाता है।

2-1-23

(वीना आशापुरे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 61/18 /एक–11–01/2009, डिण्डौरी, दिनांक 02/01/2023

<u>प्रतिलिपि यथानिर्देशित :–</u>

1- मान्नीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर (म0प्र0)

2- प्रथम/तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म0प्र0)

3- प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डिण्डौरी (म0प्र0)

4- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी

5- प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डिण्डौरी

6- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी

7- प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी डिण्डौरी (म0प्र0)

8- जिला अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी

9- लोक अभियोजक डिण्डौरी

10- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म0प्र0)

11- केन्द्रीय पंजीयन सह तलवाना अनुभाग जिला न्यायालय डिण्डौरी

12- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, डिण्डौरी/शहपुरा (म0प्र0)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13- प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय डिण्डौरी की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, डिण्डौरी की वेबसाइट पर अपलोड करायें।

जिला रजिस्ट्रार
कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी (म0प्र0)